ADCs द्वारा 125वें संवधिान संशोधन वधियेक को पारति करने की मांग

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों **असम, मेघालय, मोजोरम और त्रपिुरा** के 10 **स्वायत्त ज़लिा परषिदों (Autonomous District Councils- ADCs)** के मुख्य कार्यकारी मजस्टि्रेटों (Chief Executive Magistrates- CEMs) ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की और [125वें संवधिान संशोधन वधियेक] को पारति करने की मांग रखी।

- इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने वधियेक से संबंधति मुद्दों को हल करने के लयि **गृह राज्य मंत्री** की अध्यक्षता में एक समतिि गठति करने का नर्णिय लयिा।

125वें संवधिान संशोधन वधियेक में प्रस्तावति संशोधन क्या हैं?

- **वधियेक का उद्देश्य संवधिान की** [छठी अनुसूची] **के तहत जनजातीय स्वायत्त परषिदों को अधकि वत्तिीय, कार्यकारी और प्रशासनकि शक्तयिाँ प्रदान करना है।**
- **ग्राम एवं नगर परषिदें:**
  - प्रस्ताव में मौजूदा ज़लिा और क्षेत्रीय परषिदों के साथ-साथ ग्राम एवं नगर परषिदों का गठन भी शामलि है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग गाँवों या गाँवों के समूहों के लयि **ग्राम परषिदें** (**Village Councils**) स्थापति की जाएंगी, जबकि प्रत्येक ज़लिे के शहरी क्षेत्रों में नगर परषिदें स्थापति की जाएंगी।
- **ज़लिा परषिदों** को नम्निलखिति के संबंध में कानून बनाने का अधकिार होगा:
  - ग्राम और नगर परषिदों की संख्या एवं संरचना।
  - इन परषिदों में चुनाव हेतु नर्वािचन क्षेत्रों का परसीमन।
  - ग्राम एवं नगर परषिदों की शक्तयिाँ और कार्य।
- **शक्तयिों के हस्तांतरण के नयिम:** [राज्यपाल] **को ग्राम एवं नगर परषिदों को शक्तयिों तथा उत्तरदायत्विों के हस्तांतरण हेतु नयिम बनाने का अधकिार होगा।**
  - इन नयिमों में नम्निलखिति शामलि हो सकते हैं:
    - आर्थकि वकिास योजनाओं की तैयारी।
    - भूमि सुधारों का कार्यान्वयन।
    - शहरी एवं नगरीय नयिोजन।
    - अन्य उत्तरदायत्विों के साथ-साथ भूमि उपयोग का वनियिमन।
  - वधियेक में प्रस्ताव कयिा गया है कि राज्यपाल दल-बदल/दल -परविर्तन (Defection) के आधार पर परषिद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नयिम भी बना सकता है।
- **राज्य वत्ति आयोग: वधियेक में ज़लिा, ग्राम और नगर परषिदों की वत्तिीय स्थतिि का आकलन करने के लयि इन राज्यों में एक** [वत्ति आयोग] **की नयिुक्ति का प्रावधान है। आयोग नम्निलखिति के संबंध में सफिारशिें करेगा:**
  - राज्य और ज़लिा परषिदों के बीच करों का वतिरण।
  - **राज्य की** [संचति नधि] से ज़लिा, ग्राम और नगर परषिदों को अनुदान सहायता।
- **परषिदों के चुनाव:** ज़लिा परषिदों, क्षेत्रीय परषिदों, ग्राम परषिदों और नगर परषिदों के चुनावों की देख-रेख [राज्य नर्वािचन आयोग] द्वारा की जाएगी, जसिकी नयिुक्ति इन चार राज्यों के लयि राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **वधियेक की वर्तमान स्थतिि:**
  - संवधिान (125वाँ संशोधन) वधियेक 2019, **को राज्यसभा में प्रस्तुत कयिा गया था** और बाद में इसे गृह मामलों पर वभिाग-संबंधति संसदीय स्थायी समतिि को भेज दयिा गया।
  - समतिि **ने वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपनी रपिोर्ट में वधियेक के बारे में कई चतिाएँ व्यक्त थीं और तब से** यह लंबति है।

संवधिान की छठी अनुसूची क्या है?

- **क्षेत्र**: इस अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों** के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।
- **संवैधानिक आधार:** इस अनुसूची के तहत **अनुच्छेद 244 (2)** (छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे) **और अनुच्छेद 275 (1)** (यह भारत की समेकित निधि से अनुदान सहायता को सुनिश्चित करता है) आते हैं।
- **स्वायत्तता**: इस अनुसूची के तहत **स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADCs)** में शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमि, वन, कृषि, विरासत, सीमा शुल्क और करों पर कानून का निर्माण करना शामिल है।
- **शासन**: ADC **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों** के साथ छोटे राज्यों की तरह कार्य करते हैं।

स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs) क्या हैं?

- **परिचय: ADCs संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244) के तहत पूर्वोत्तर भारत में बनाए गए संवैधानिक साधन हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।**
  - **राज्यपाल का प्राधिकार:** स्वायत्त ज़िलों को उनके क्षेत्रों और सीमाओं सहित व्यवस्थित, पुनर्गठित एवं संशोधित कर सकता है।
  - **जनजातीय वितरण:** यदि कई जनजातियाँ मौजूद हैं, तो राज्यपाल ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन कर सकता है।
- **संरचना:**
  - **ज़िला परिषद:** प्रत्येक ज़िले में 30 सदस्यों की एक परिषद होती है (4 राज्यपाल द्वारा नामित, 26 निर्वाचित), जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
  - **क्षेत्रीय/आंचलिक परिषद:** प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की अपनी परिषद होती है।
  - **प्रशासन**: ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्राधिकार का प्रबंधन करती हैं तथा जनजातीय विवादों के लिये ग्राम परिषदें या न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। अपील की सुनवाई राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाती है।
- वर्तमान में **10 स्वायत्त परिषदें** अस्तित्व में हैं - असम, मेघालय और मिज़ोरम में तीन-तीन तथा त्रिपुरा में एक।

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

मूलतः (वर्ष 1949) संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जबकि वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं; वर्ष 1951 के पश्चात् किये गए विभिन्न संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियाँ (9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) और जोड़ी गई हैं।

प्रथम अनुसूची
- अनुच्छेद: 1 और 4
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

द्वितीय अनुसूची
- अनुच्छेद: 59, 65, 75, 97,125, 148, 158, 164, 186 और 221
- विभिन्न संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि) के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार

तृतीय अनुसूची
- अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219
- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार (केंद्रीय मंत्री, सांसद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि)

चौथी अनुसूची
- अनुच्छेद: 4 और 80
- राज्यसभा में सीटों का आवंटन

पाँचवीं अनुसूची
- अनुच्छेद: 244
- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण

छठी अनुसूची
- अनुच्छेद: 244 और 275
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

सातवीं अनुसूची
- अनुच्छेद: 246
- संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)

आठवीं अनुसूची
- अनुच्छेद: 344 और 351
- संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ

नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)
- अनुच्छेद: 31-B
- कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन

दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)
- अनुच्छेद: 102 और 191
- दलबदल विरोधी कानून

ग्यारहवीं अनुसूची (73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)
- अनुच्छेद: 243-G
- पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व

बारहवीं अनुसूची (74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992)
- अनुच्छेद: 243-W
- नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व

दृष्टि The Vision | d
Drishti IAS

और पढ़ें: छठी अनुसूची एवं इनर लाइन परमिट प्रणाली

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

Q. भारत के संवधिान की कसि अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषति किया जा सकता है?

(a) तीसरी अनुसूची
(b) पाँचवीं अनुसूची
(c) नौवीं अनुसूची
(d) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/adcs-raise-demand-to-pass-125th-constitutional-amendment-bill